भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-433
बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन

433. डा॰ किरोड़ी लाल मीणाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों की वर्ष-वार और क्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) विगत चार वर्षों में देश में बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है और क्या यह वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर	
सर्वेक्षण*	**अखिल भारत**
2017-18 (पीएलएफएस)	**6.0%**
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	**3.7%**
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	**3.4%**
2012-13 (श्रम ब्यूरो)	**4.0%**

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 20 अक्तूबर, 2019 तक इस योजना के तहत 20.84 करोड़ ऋण की संस्वीकृति दी गई थी।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लाभ प्राप्त करेंगे। 21 अक्तूबर, 2019 तक 1.22 करोड़ लाभार्थियों को 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया है।

अनुबंध-I

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन से संबंधित पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 20.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

I. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	01-04-2019 to 31-10-19
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	1832	216
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	17760	8200
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	2240	896
4	असम	9026	31498	18256	29896	7216
5	बिहार	19624	25872	18456	26424	6224
6	छत्तीसगढ़	323	376	360	224	72
7	दिल्ली	9496	12856	11704	24752	8432
8	गोवा	2048	952	920	1056	368
9	गुजरात*	500	660	400	624	312
10	हरियाणा	14960	11629	15008	28000	19032
11	हिमाचल प्रदेश	7232	11016	13744	17320	6752
12	जम्मू और कश्मीर	5134	6916	7088	11192	5456
13	झारखंड	12115	11691	30024	60232	17488
14	कर्नाटक	12873	10400	8888	14376	3856
15	केरल	17284	30286	16920	29256	13800
16	लक्षद्वीप	9653	13068	10776	19888	8064
17	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
18	महाराष्ट्र **	16497	15520	14432	20208	5552
19	मणिपुर	20161	17799	26632	45136	16992
20	मेघालय	2715	8419	4800	10328	2680
21	मिजोरम	4824	2632	600	3120	1072
22	नागालैंड	9072	3400	1992	8984	2144
23	ओडिशा	4998	7783	7440	9664	1992
24	पुडुचेरी	17629	20392	19192	24560	6688
25	पंजाब	447	699	352	608	264
26	राजस्थान	7762	9858	12160	14408	6488
27	सिक्किम	14537	13408	12614	18872	8632
28	तमिलनाडु	397	201	296	440	256
29	तेलंगाना	20836	25764	32760	41480	17192
30	त्रिपुरा	7761	6445	9520	16408	7776
31	यूटी चंडीगढ़	5355	17961	8928	9432	1712
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	41944	12656
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	17448	5136
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	19304	8224
	कुल	323362	407840	387182	587416	211840

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

स्रोतः सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

#31.03.2019 तक

II. डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 15-16		वि.व. 16-17		वि.व. 17-18		वि.व. 18-19		04.11.'19 (एमपीआर) को वि.व. 19-20 अक्तू., 2019 तक	
		प्रशिक्षत	नियोजित	प्रशिक्षत	नियोजित	प्रशिक्षत	नियोजित	प्रशिक्षत	नियोजित	प्रशिक्षत	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4013	1989	12787	18966	17341	10954	26278	24841	6506	4984
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	4258	3022	8202	1479	9936	3464	16752	7397	5913	10470
4	बिहार	7722	3685	8608	4216	6972	4859	10720	5851	4850	3166
5	छत्तीसगढ़	8434	4463	7355	1987	3111	539	6939	2583	4402	3016
6	गुजरात	7892	5083	2254	2075	528	160	5131	1486	1532	1666
7	हरियाणा	13409	8807	10512	586	2281	5832	1734	3919	1380	4557
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	350	0	2818	576	1023	480
9	जम्मू और कश्मीर	18609	16524	7300	6453	1137	1424	4283	631	4426	881
10	झारखंड	6939	1314	8360	2355	5526	2375	8947	3421	5132	5063
11	कर्नाटक	10926	5443	10909	4432	8871	4752	7426	5411	2497	3509
12	केरल	4738	2446	11246	5598	10587	4175	13736	9656	6127	5076
13	मध्य प्रदेश	13089	3954	10974	3546	5353	1823	9339	2098	5238	1587
14	महाराष्ट्र	0	0	4140	3694	7082	7390	18483	4500	6892	5750
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	574	0	419	247
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	829	253	563	375
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	157	0	304	127
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	304	0	699	349
19	ओडिशा	23070	18001	32108	45726	23520	14035	41638	31481	24741	22318
20	पंजाब	0	0	0	0	4987	563	2782	1443	1132	679
21	राजस्थान	23143	12844	3837	3397	2599	693	10226	3381	8383	4001
22	सिक्किम	304	205	0	70	0	0	64	64	213	16
23	तमिलनाडु	20449	9375	113	30780	519	765	3152	185	5252	1756
24	तेलंगाना	3554	1830	8969	9150	12470	9048	16588	15604	4023	5124
25	त्रिपुरा	305	75	1197	342	1530	526	1816	2093	697	287
26	उत्तर प्रदेश	63209	8552	11203	2052	4795	892	17945	4839	12708	4064
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	1144	253	741	278
28	पश्चिम बंगाल	2408	1900	2512	979	2032	1518	8625	3700	3109	2004
	योग	**236471**	**109512**	**162586**	**147883**	**131527**	**75787**	**238430**	**135666**	**118902**	**91830**

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय

III. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के तहत राज्य/संघ क्षेत्र-वार सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य	मानवदिवस (लाख में)				
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
1		1992.10	2058.78	2120.92	2465.33	1531.48
2	अरुणाचल प्रदेश	50.46	85.38	42.80	68.70	31.40
3	असम	486.33	466.09	480.86	533.31	336.78
4	बिहार	670.92	858.36	817.20	1233.99	753.53
5	छत्तीसगढ	1013.96	885.94	1199.29	1386.04	709.15
6	गोवा	1.07	1.26	0.99	0.15	0.02
7	गुजरात	225.41	271.06	353.09	419.61	214.50
8	हरियाणा	48.48	84.92	90.37	77.90	42.03
9	हिमाचल प्रदेश	177.71	236.61	220.06	285.20	144.85
10	जम्मू और कश्मीर	316.32	315.59	370.90	369.29	61.87
11	झारखंड	585.61	707.44	592.74	536.65	410.71
12	कर्नाटक	598.38	914.06	856.99	1045.16	760.89
13	केरल	741.74	684.62	619.59	975.26	398.14
14	मध्य प्रदेश	1237.42	1130.39	1622.46	2029.80	1150.16
15	महाराष्ट्र	763.30	708.94	825.32	846.01	380.50
16	मणिपुर	75.33	119.03	61.25	117.39	145.35
17	मेघालय	199.71	282.54	291.88	342.15	131.96
18	मिजोरम	131.26	168.23	144.38	181.22	126.07
19	नागालैंड	212.07	290.71	200.03	132.85	57.47
20	ओडिशा	894.46	774.48	922.11	830.69	486.36
21	पंजाब	144.34	157.73	223.11	204.47	138.90
22	राजस्थान	2341.25	2596.74	2397.74	2942.46	2277.43
23	सिक्किम	43.84	46.12	34.61	33.55	14.86
24	तमिलनाडु	3686.75	3999.42	2388.81	2576.97	1808.54
25	तेलंगाना	1417.76	1082.19	1147.73	1176.81	863.18
26	त्रिपुरा	538.75	460.67	176.04	253.09	217.96
27	उत्तर प्रदेश	1822.22	1575.01	1815.15	2121.98	1351.89
28	उत्तराखंड	223.87	236.71	223.02	221.82	91.53
29	पश्चिम बंगाल	2864.97	2355.51	3125.55	3383.11	791.80
30	अण्डमान और निकोबार	2.68	4.12	1.90	1.94	1.07
31	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.06	0.10	0.01
32	पुडुचेरी	5.62	5.37	7.26	6.64	5.66
	योग	**23514.13**	**23564.07**	**23374.24**	**26799.66**	**15436.06**

* 04.11.2019 को

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

IV. डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 2014-2015 से 2018-19 तक (ईएसटीएंडपी) के अंतर्गत नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की वर्ष वार, राज्य वार संख्या

31.10.2019 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या				
		वि.व. 2015-16	**वि.व. 2016-17**	**वि.व. 2017-18**	**वि.व. 2018-19**	**संचयी**
1	आंध्र प्रदेश	**3116**	**35882**	**12010**	**54610**	**105618**
2	अरुणाचल प्रदेश	**0**	**0**	**113**	**622**	**735**
3	असम	**0**	**293**	**1284**	**443**	**2020**
4	बिहार	**90**	**176**	**1546**	**627**	**2439**
5	छत्तीसगढ़	**3513**	**5858**	**6476**	**5121**	**20968**
6	गोवा	**0**	**66**	**639**	**1255**	**1960**
7	गुजरात	**226**	**3920**	**6388**	**12983**	**23517**
8	हरियाणा	**0**	**0**	**685**	**2510**	**3195**
9	हिमाचल प्रदेश	**196**	**86**	**100**	**402**	**784**
10	जम्मू और कश्मीर	**254**	**0**	**25**	**115**	**394**
11	झारखंड	**0**	**2700**	**20795**	**5921**	**29416**
12	कर्नाटक	**3527**	**637**	**898**	**0**	**5062**
13	केरल	**0**	**443**	**2413**	**4422**	**7278**
14	मध्य प्रदेश	**4307**	**38060**	**3039**	**32096**	**77502**
15	महाराष्ट्र	**0**	**11768**	**6083**	**22272**	**40123**
16	मणिपुर	**6**	**0**	**0**	**100**	**106**
17	मेघालय	**0**	**317**	**111**	**26**	**454**
18	मिजोरम	**0**	**147**	**91**	**1424**	**1662**
19	नागालैंड	**691**	**341**	**1749**	**0**	**2781**
20	ओडिशा	**0**	**2467**	**776**	**0**	**3243**
21	पंजाब	**0**	**0**	**1139**	**1400**	**2539**
22	राजस्थान	**0**	**0**	**33**	**2730**	**2763**
23	सिक्किम	**0**	**0**	**0**	**248**	**248**
24	तमिलनाडु	**6262**	**0**	**1156**	**2834**	**10252**
25	तेलंगाना	**3718**	**1861**	**10013**	**5031**	**20623**
26	त्रिपुरा	**0**	**0**	**2**	**229**	**231**
27	उत्तर प्रदेश	**0**	**42174**	**30058**	**373**	**72605**
28	उत्तराखंड	**0**	**1731**	**0**	**1084**	**2815**
29	पश्चिम बंगाल	**6322**	**2691**	**6919**	**8745**	**24677**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	चंडीगढ़	**1436**	**283**	**875**	**0**	**2594**
32	दादर एवं नगर हवेली	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	दमन और दीव	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	दिल्ली	**0**	**0**	**0**	**21**	**21**
35	पुडुचेरी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	योग	**33664**	**151901**	**115416**	**167644**	**468625**

स्रोतः आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय